

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-4/2018/

दिनांक:-

--:आदेश:-

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मि जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	ओमकुमारी शर्मा	नर्स प्रथम	कराबी चिकित्सालय, जोधपुर	12.04.1958	25.01.1985	30.04.2018
2.	प्यारे लाल शर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर	14.08.1958	28.01.1983	31.08.2018
3.	मधु रानी सोनी	प्रधानाचार्य	जयपुर	15.08.1958	21.05.1980	31.08.2018
4.	दिनेश कुमार चन्देल	नर्स प्रथम	जयपुर	25.09.1958	25.06.1981	30.09.2018
5.	निर्मला कुमारी	नर्स प्रथम	जयपुर	26.09.1958	13.07.1982	30.09.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 10/04/18

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-4/2018/204

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (ईएसआई योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
5. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी., मुख्यालय।
6. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई।
7. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
8. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
11. संबंधित चिकित्सा अधिकारी, कराबी चिकित्सालय, ईएसआई योजना।
12. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
13. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
14. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर